न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2016 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. रामकरण पिता लालू मीणा निवासी जालमपुरा तहसील जहाजपुर

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 11/1/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को दिनांक 26.07.1980 को ग्राम जालमपुरा पटवार मण्डल रावतखेडा की आराजी नं. 18 में रकबा 5 बीघा आवंटन की गयी। उक्त आवंटन आवेदन पत्र पर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के आदेश कमांक/80/6614 दिनांक 09.10.1980 से आवंटित भूमि विवादास्पद होने से अग्रिम आदेश तक पैमुद नही करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जाने तथा आवंटी को इसके बजाय दूसरी भूमि आवंटन की जाने का प्रस्ताव भिजवाने बाबत लिखा गया, इसलिए आवंटी को उक्त भूमि पैमुद नही की गयी। आवंटी को आराजी नं. 18 में आवंटन के बजाय आराजी नं. 8 में दिनांक 02.06.1989 को 5 बीघा भूमि आवंटन होकर अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। आवंटी को पूर्व में आवंटित भूमि आराजी नं. 18 रकबा 5 बीघा वर्तमान में चारागाह भूमि दर्ज रिकार्ड हैं, जो आवंटन योग्य नही की गयी हैं। अप्रार्थी को आवंटित भूमि आराजी नं. 18 नगर पालिका जहाजपुर की परिधि क्षैत्र में स्थित हैं जो आवंटन नहीं की जा सकती हैं। अप्रार्थी को उक्त आवंटित भूमि की पैमुदगी नहीं होने तथा मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तों की पालना नही होने से आवंटन निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी की खातेदारी में सिंचित 16 बीघा 02 बिस्वा

भूमि होकर नियम 14(4) ख के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति नहीं हैं। निवेदन हैं कि अप्रार्थी को ग्राम जालमपुरा पटवार मण्डल रावतखेडा में आराजी नं. 18 में 5 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2016 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन अदम तामील में अप्रार्थी रामकरण की मृत्यु होना अंकित किया हैं। मृतक रामकरण के कायम मुकामान की रिपोर्ट तहसीलदार जहाजपुर से तलब की गयी। परन्तु प्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर ने उक्त कायम मुकामान का न तो संशोधित टाईटल पेश किया और न ही विपक्षी के का.मु. के सम्मन पेश किये हैं। जिससे तहसीलदार जहाजपुर ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी ने आवंटन के संबंध में भूमि आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति भी पेश नही की हैं। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर ने विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा सही कायम मुकाम की रिपोर्ट संशोधित टाईटल मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 05.01.2016 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रकरण में 4 वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रकिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार जहाजपुर ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी नये सिरे से आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-1-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा